# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 256/2012/भीलवाड़ा.**

मैसर्स अजीत कुमार एण्ड कम्पनी,
2–सी–21, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 25/02/2014**

## निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.12.2011 को अपास्त किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 31.12.2011 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2005–06 के लिये वेट अधिनियम की धारा 29(7) के तहत एकतरफा आदेश दिनांक 31.07.2008 को पारित किया जाकर कुल रूपये 3,16,329/– की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.12.2011 प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 30.12.2011 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 30.12.2011 की प्रति अपीलार्थी व्यवहारी को प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 9.12.2011 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर दिनांक 19.12.2011 को प्रशासनिक अधिकारी

**लगातार.....2**

के समक्ष धारा 34 के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि निर्धारित समयावधि में था, इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी का प्रार्थना—पत्र मियाद बाहर मानते हुए अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिसों की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार व्यवहारी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए धारा 29(7) के तहत एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.7.2008 को पारित किया गया था, जिसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को प्रेषित की गई एवं उक्त आदेश की प्रति दिनांक 02.08.2008 को अपीलार्थी को प्राप्त हो गई थी। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा धारा 34 का प्रार्थना—पत्र लगभग तीन साल तीन माह बाद प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निर्धारित समयावधि के पश्चात पेश किये जाने के कारण प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विधि अनुसार इसे अस्वीकार किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि आलौच्य अवधि वर्ष 2005—06 के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई दिनांक 15.11.2007, 8.7.2008 व 24.7.2008 के लिये क्रमशः दिनांक 30.10.2007, 21.5.2008 व 8.7.2008 को नोटिस जारी किये गये हैं। उक्त नोटिसों की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए धारा 29(7) के तहत आदेश दिनांक 31.7.2008 को पारित किया गया है। उक्त आदेश की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी व्यवहारी को प्रेषित की गई एवं अपीलार्थी को दिनांक 02.08.2008 को प्राप्त होना पत्रावली से प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी का यह तर्क मान्य नहीं है कि उनके द्वारा दिनांक 9.12.2011 को आवेदन किया जाकर प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने पर विवादित कर निर्धारण आदेश की जानकारी हुई। वेट अधिनियम की धारा 34 में

लगातार.....3

यह स्पष्ट प्रावधित है कि एकतरफा पारित कर निर्धारण आदेश की प्रति प्राप्त होने से 30 दिवस के भीतर प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष उक्त आदेश को रि–ओपन किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अत्यधिक विलम्ब से, लगभग तीन वर्ष एवं तीन माह पश्चात, प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( जे. आर. लोहिया )
सदस्य
25/12/14